शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

यू०जी०सी० मानक के अनुसार उच्च शिक्षा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में शोध

डॉ० रमेश वर्मा

'समाचार संपादक, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डी०ए-वी० कॉलेज, कानपुर

www.shodh.net

यू०जी०सी० मानक के अनुसार उच्च शिक्षा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में शोध

डॉ० रमेश वर्मा

सन् 2009 में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाये रखने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों –महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता निर्धारित की।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली में निर्धारित न्यूनतम अर्हता में शोध को विशिष्ट महत्त्व दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली 3.0.0. में भर्ती व योग्यता का प्रावधान है। इस प्रावधान के 3.3.1 में असिस्टेन्ट प्रोफेसर की भर्ती व नियुक्ति को वर्णित किया गया है। 3.3.1 में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं में असिसटेन्ट प्रोफेसर की भर्ती नियुक्ति में न्यूनतम योग्यता नेट/ स्लेट/ सेट रहेगी। इसी के दूसरे पैरा में पी0एच0डी0 धरकों को न्यूनतम योग्यता नेट/ स्लेट/ सेट से छूट प्रदान की गयी है। 'छूट' के प्रावधन में कहा गया है- विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं में असिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा समकक्ष की भर्ती-नियुक्ति में वे ही पी0एच0डी0 धारक न्यूनतम योग्यता नेट/स्लेट/ सेट से छूट पाने के हकदार होंगे, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम 2009 (न्यूनतम मानक व प्रक्रिया- पी0एच0डी0 अवार्ड के लिए) के तहत पी0एच0डी0 की हो। अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं-

3.5.0 19 सितम्बर, 1991 के पहले एम0 ए0 करने वाले पी0एच0डी0 धरकों को न्यूनतम अंक 55% में 5 प्रतिशत की छूट होगी। अर्थात् 50 प्रतिशत की ही योग्यता मानी जायेगी।

3.7.0 प्रोफेसर की नियुक्ति व प्रोन्नत में पी0एच0डी0 की योग्यता आवश्यक है।

3.8.0 एसोसियेट प्रोफेसर की सीधी भर्ती में सभी अभ्यर्थियों के लिये पी0एच0डी0 की योग्यता आवश्यक है।

3.9.0 नियुक्तियों में एम0 फिल0, पी0एच0डी0 की समयावधि शिक्षण/शोध अनुभव पर विचार नहीं किया जायेगा।

शोधपरक उच्च शिक्षा नीति पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जोर है। शोध की महत्ता बढ़ाने के लिये शिक्षकों की भर्ती व प्रोन्नति में शोध, लघु शोध पत्र प्रकाशन व वाचन, माइनर व मेजर प्रोजेक्ट, विषय विशेषज्ञ, पाठ्यक्रम प्रशिक्षण, कांफ्रेस, सेमिनार, कार्यशाला, पुस्तक प्रकाशन, पुस्तकों में लेख-अध्याय प्रकाशन, शोध कराने इत्यादि को भी आधार बनाया गया है। इसका प्रावधान भर्ती के आकस्मिक उपलब्धि मानक (APIS) तथा प्रोन्नति के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएसएस) के कुल अंकों में किया गया है।

शोध पत्र प्रकाशन में 10 से 15 अंक, पुस्तक प्रकाशन में 5 से 25 अंक, एमफिल, पी.एच.डी. शोध प्रबंध जमा होने पर प्रति शोधार्थी 3 से 10 अंक, कांफ्रेस, सेमिनार, कार्यशाला में 3 से 10 तंक, प्रेजेक्ट में 10 से 30 अंक तक निर्धारित किये गये हैं।

भारत सरकार का शोध की गुणवत्ता तथा उसकी राष्ट्रोपयोगिता पर विशेष बल है। राष्ट्र के कर्णधार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मानव विकास संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल, उच्च शिक्षा से जुड़े मंत्री, सचिव, कुलाधिपति, कुलपति, शिक्षाविद् शोध की गिरती दशा से चिंतित हैं। उनका मानना है कि 90 प्रतिशत तक शोध विश्वपटल पर खरे नहीं उतरते हैं। वे चाहते है शोध राष्ट्रीय मुद्दों-रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, नित-नूतन जन समस्याओं से जुड़े। ऐसा ही आवाहन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सन् 2010 के आई आई टी गोल्डेन जुबली समारोह में कर चुके हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध की गुणवत्ता के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी विश्वविद्यालय सन् 2009 के इन दिशा-निर्देशों को लागू करने की लम्बी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में दो शिक्षा-सत्रों से शोध कार्य शून्य है। उत्तर प्रदेश में सहगल कमेटी की अनुशंसा पर शोधार्थी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। शोध पत्र प्रकाशित कराने होंगे, 6-6 माह में प्रगति आख्या प्रस्तुत

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

यू०जी०सी० मानक के अनुसार उच्च शिक्षा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में शोध

डॉ० रमेश वर्मा

'समाचार संपादक, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डी०ए-वी० कॉलेज, कानपुर

www.shodh.net

करनी होगी, सेमेस्टर जैसी परीक्षा से गुजरने आदि के प्रावधान किये गये हैं। शोध की मौलिकता, सामाजिकता, समन्वयता, नये-नये विषयों व संदर्भो और निष्कर्षो को ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। जर्नल्स में शोध पत्र के प्रकाशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदानित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय-राष्ट्रीय सेमिनार, एक सप्ताह की कार्यशाला, 5 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट को अधिकतम अंक की परिधि में रखा गया है।

मुख्यत: कला, संस्कृति, साहित्य विषयों से जुड़े विशेषज्ञ व शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश विज्ञान के अध्ययन-अध्यापन में तो उपयुक्त है किन्तु गैर विज्ञान के विषयों के लिय अलग से दिशा-निर्देश होने चाहिये। वे सबसे बड़ी मुश्किलें संसाधनों कमी, अपेक्षित जर्नल्स का अभाव तथा सरकारी उपेक्षा बताते हैं।

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN